

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीटासीन अधिकारी- संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2026 / 55

सिविल प्रकरण संख्या:- 28 / 2026

तारीख रजू 15.04.2026

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
.....आवेदक

बनाम

1. घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री कालूराम गुप्ता (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स :- अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मैन बस स्टेण्ड, बौली, सवाई माधोपुर निवासी:- अग्रसेन कॉलोनी, निवाई रोड, बौली, सवाई माधोपुर 322021।


..... अभियुक्त

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (iii), (2)(iv) / 51 & 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय:-

दिनांक 27.05.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 10.01.2026 को 04.00 पी.एम पर मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार, मैन बस स्टेण्ड, बौली, सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम घनश्याम गुप्ता पुत्र कालूराम गुप्ता होना बताया एवं खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र दिखाया जो वर्ष 2030 तक के लिए मान्य था। आवेदक द्वारा उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में बने डिस्प्ले काउन्टर में एक स्टील की ट्रे में लगभग 4-5 किलोग्राम मावा बर्फी आमजन को विक्रय हेतु रखी हुई थी। उक्त **Mawa Burfi Sweets made from Milk and Sugar** में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच 2 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 500/- रूपये घनश्याम गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान मोहन सिंह एवं वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पदकर सुनाकर


न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

एव समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे घनश्याम गुप्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं० 5ए की एक प्रति विक्रेता घनश्याम गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम **Mawa Burfi Sweets made from Milk and Sugar** को हिला-मिलाकर एकरूप कर खाली स्टील के बर्तन में तुलवाकर खरीदकर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Mawa Burfi Sweets made from Milk and Sugar** को प्रत्येक बोतल में बराबर-बराबर डालकर 40-40 बूंदे फॉर्मलीन की डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-3920** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक **H-3920** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर छः की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर् में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2026/54 दिनांक 02.02.2026 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/111/एक्ट/2026/205 दिनांक 19.01.2026 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi Sweets made from Milk and Sugar, Sub-standard & Containing Extraneous Matter** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2026/217 दिनांक 27.03.2026 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

युव
न्याय निर्णयन अधिकारी
एव अति. जिला मजि
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-standard & Containing Extraneous Matter, Mawa Burfi Sweets made from Milk and Sugar** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित आए। अभियुक्त ने प्रकरण में जवाब पेश किया एवं प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub-standard & Containing Extraneous Matter, Mawa Burfi Sweets made from Milk and Sugar** का विक्रय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थी की दुकान अग्रवाल मिष्ठान भण्डार बाँली से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मावा बर्फी की जांच हेतु नमूना लिया था जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रार्थी की कोई गलती नहीं है सब सामान बाजार से खरीदा जाता है अतः प्रार्थी गलती स्वीकार करता है। अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट संख्या एलएस/111/एक्ट/2026/205 दिनांक 19.01.2026 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi Sweets made from Milk and Sugar, Sub Standard & Containing Extraneous Matter** प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में स्टार्च मिलाने की जांच पोजिटिव आई है जोकि नेगेटिव आनी चाहिए थी, B.R Reading of extracted fat at 40.0° C result 48.2 आया है जोकि 40.0 to 44.0 होना चाहिए था तथा Reichert value of extracted fat result 8.73 आया है जोकि Min. 24.0 होना चाहिए था इस प्रकार उक्त जांच यह दर्शाती है कि नमूने का घी/मिल्क फेट आंशिक रूप से foreign fat से प्रतिस्थापित किया गया है। foreign fat का मतलब आमतौर पर उस वसा या तेल से होता है जो खाद्य पदार्थ के प्राकृतिक वसा का हिस्सा नहीं होता बल्कि उसे अलग से मिलाया जाता है। B.R Reading of extracted fat at 40.0° C of extracted fat की रिपोर्ट के अनुसार मिल्क फेट निर्धारित मात्रा से अधिक आने तथा Reichert value of extracted fat की रिपोर्ट के अनुसार extracted fat निर्धारित मात्रा से काफी कम आने के कारण नमूना **Sub Standard & containing Extraneous Metter** पाया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेल जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

द्वारा
न्याय निर्णयन आ.
एवं अति. जिला
स्वायं शा.

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Mawa Burfi Sweets made from Milk and Sugar** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 25,000/-रु० (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य रिधति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर